



Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission
 Irrigation Colony, Shanti Nagar, Raipur - 492 001 (C.G.)
 Ph.0771-4073568, Fax: 4073553
 Website: www.cserec.gov.in, E-mail: cserec.sec.cg@nic.in;



**NOTICE FOR INVITING OBJECTIONS/SUGGESTIONS AND
PUBLIC HEARING ON RETAIL ELECTRICITY TARIFF OF
BHILAI TOWNSHIP AREA**

M/s Bhilai Steel Plant-Town Electrical & Engineering Department (BSP-TEED), a distribution licensee in its area of operations in Bhilai, has filed a petition for approval of true-up of FY 2020-21, FY 2021-22 and FY 2022-23 and determination of retail tariff for FY 2024-25 under Sections 86 (1) (a) and 62 of Electricity Act, 2003 read with CSERC (Terms and Conditions of determination of tariff according to Multi-Year Tariff Principle and Methodology and Procedure for determination of Expected revenue from Tariff and charges) Regulations, 2021. This petition is registered as petition No.106 of 2023.

The petition along with correspondences done with BSP-TEED are available on the Commission's website. Petitioner BSP-TEED has invited written objections/suggestions from stakeholders by publishing a public notice in the newspapers on 15/03/2024. The Commission has decided to conduct a public hearing on the above petition at the Commission's court room at Raipur on 28/05/2024 at 11:30 a.m.

SECRETARY



छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
 सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर 492001
 फोन नं. 0771-4073568 फैक्स 4073553
 वेब साइट www.cserec.gov.in ई-मेल : cserec.sec.cg@nic.in



**भिलाई स्टील प्लांट टाउनशिप एरिया हेतु खुदरा विद्युत दर पर
आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने एवं जन-सुनवाई हेतु सूचना**

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 एवं 86(1)(ए) एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहु-वर्षीय टैरिफ सिद्धांत के अनुसार टैरिफ के निर्धारण के नियम और शर्तें और टैरिफ और शुल्कों से अपेक्षित राजस्व के निर्धारण के लिए कार्यप्रणाली और प्रक्रिया) विनियम, 2021 के अनुपालन में बीएसपी-टीईडी द्वारा वर्ष 2024-25 में खुदरा दर निर्धारण एवं वर्ष 2020-21, वर्ष 2021-22 तथा वर्ष 2022-23 के टू-अप हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष याचिका प्रस्तुत की गई है जिसे याचिका क्रमांक 106/2023 के रूप में पंजीकृत किया गया है।

उक्त याचिका एवं बीएसपी-टीड के साथ किया गया प्रवाचार आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। बीएसपी-टीड द्वारा उक्त याचिका पर लिखित आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किए जाने हेतु समाचार पत्रों में दिनांक 15/03/2024 को आम सूचना प्रकाशित की गई थी। आयोग द्वारा उक्त याचिका पर आयोग के कोर्ट रूम में दिनांक 28/05/2024 समय प्रातः 11:30 बजे जन-सुनवाई की जावेगी।

सचिव